उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-20/541/एक-1-2016-5(17)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 23 मई, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, नजीबाबाद की स्थापना हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजनौर	नजीबाबाद	किरतपुर	मदसूदनपुर देवीदास	1	1.582	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, नजीबाबाद की स्थापना हेतु
2					10	2.440	
3					13	2.731	
4					24	1.632	
				योग	**कुल 04 गाटा**	**8.385 हे0**	

2. कलेक्टर, बिजनौर द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से शासित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि कुल 04 गाटा रकबा 8.385 हे0 का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा

-2-

shasnadesh.up.nic.in

रहा है। प्रश्नगत भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

4. उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, नजीबाबाद की स्थापना हेतु किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. गॉव पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित कुल 04 गाटा रकबा 8.385 हे0 दैड़ भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी, बिजनौर यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण के उपरान्त वर्षा के जल की निकासी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, बिजनौर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-541(1)/एक-1-2016-5(17)/2016 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. कलेक्टर, बिजनौर के पत्र संख्या-39/सात-भूलेख, डी.एल.आर.सी. दिनाँक 26.04.2016 के क्रम में।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मदन मोहन)
अनु सचिव।

shasnadesh.up.nic.in